2

पत्रांक– 10/न 4–07/03
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक:–

शिव प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र–2, कम्यूनिटी सेन्टर,
प्रीत विहार, दिल्ली– 110092

पटना, दिनांक:–

विषय:– श्री जी0डी0 मदर इन्टरनेशनल, अखाड़ाघाट, मुजफ्फरपुर को अनापत्ति पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि उपरोक्त विद्यालय के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये कागजातों की समीक्षा राज्य सरकार के पत्रांक 238 दिनांक 3.04.06 के आलोक में किया गया है जो निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित संस्था के द्वारा किया जा रहा है ।

2. सोसाईटी के सभी सदस्यों का निवास स्थान मुजफ्फरपुर के सरायरंजन मुहल्ला में भी है । अधिसूचना के अनुरूप सदस्यों के आपसी संबंध नही दिये गये है । अतएव यह स्पष्ट नही है कि विद्यालय के शासी निकाय में एक परिवार का प्रभुत्व नही है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को इस पर आश्वस्त होना होगा ।

3. विद्यालय ने दावा किया है कि यह अन्य संस्था से Franchise के रूप में संचालित नही है । परन्तु विद्यालय के नाम में "जी0 डी0 मदर" तथा "इन्टरनेशनल" शब्द अंकित है जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 3007/2005 के विपरीत है । यह आम लोगो के बीच भ्रम उत्पन्न करता है कि स्कूल "मदर" तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है । इन्हे नाम बदलने के लिए यथाआवश्यक समय दिया जा सकता है । साथ ही, बिना संबंधन के स्कूल द्वारा "CBSE Curriculum" लिखे जाने पर भी पाबंदी लगानी चाहिए ।

4. विद्यालय के पास 2.5 एकड़ जमीन लीज पर उपलब्ध है । अन्य आधारभूत संरचना के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के निरीक्षण दल को आश्वस्त हो जाना चाहिए ।

5. हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है ।

6. विद्यालय में 15 शिक्षक कार्यरत है जिसमें मात्र सात शिक्षक ही प्रशिक्षित है । विहित प्रकिया से नियुक्ति का दावा किया गया है । विद्यालय ने लिखित रूप से सहमति दिया है कि राज्य सरकार के पत्रांक 230 दिनांक 04.03.2006 में वर्णित अपेक्षित शर्तो का अनुपालन करेगें जो निम्नवत् है :–

1 विद्यालय में कक्षा का 25% नामांकन पड़ोस निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क नामांकन किया जायेगा तथा उनसे टयूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा। ऐसे बच्चो की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग,

Secretary/Manager
G.D. Mother International School
Akharaghat Road
Muzaffarpur, Bihar

Principal
G.D. MOTHER INTERNATIONAL SCHOOL
AKHARAGHAT ROAD
MUZAFFARPUR (BIHAR)- 842001

Scanned by CamScanner

(1)

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

आदेश

विभागीय पत्रांक 443 दिनांक 29.06.06 द्वारा निर्गत किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में विद्यालय का नाम जी0 डी0 मदर इन्टरनेशनल के स्थान पर जी0 डी0 मदर इन्टरनेशनल स्कूल, अखाड़ाघाट, मुजफ्फरपुर पढ़ा जाय।

शेष शर्त्ते यथावत रहेगें।

16.3.11

(दशरथ राम)
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक–10 / न 4–55 / 10...947 पटना, दिनांक....16/03/11...........

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र 2 कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली–110092 / जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / प्राचार्य, जी0 डी0 मदर इन्टरनेशल स्कूल, अखाड़ाघाट, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.11

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Secretary / Manager
G.D. Mother International School
Akharaghat Road
Muzaffarpur, Bihar

Principal
G.D. MOTHER INTERNATIONAL SCHOOL
AKHARAGHAT ROAD
MUZAFFARPUR (BIHAR)- 842001